न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 428/2014 निर्णय दिनांक :— 19.9.19

उनवान

1. रामनारायण पुत्र जगन्नाथ
2. रमेश पुत्र राधेश्याम
3. राजेन्द्र पुत्र राधेश्याम
4 सुभाष पुत्र राधेश्याम

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम इन्द्रपुरी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. कैलाश पुत्र बद्री जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम इन्द्रपुरी तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0।

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा , तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 53 , 88 व 188 राज.टेनेन्सी एक्ट</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से वाद प... निम्न प्रकार से प्र... किया है तहसील चाकसू हाल तहसील कोटखावदा के ग्राम इन्द्रपुरी के खसरा नं. 397 रकबा 0.30 है0 , खसरा नं. 398 रकबा 0.51 है0 , खसरा नं.

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

399 रकबा 0.62 है0 , खसरा नं. 400 रकबा 0.63 है0 , खसरा नं. 401 रकबा 0.06 है0 , खसरा नं. 402/551 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.19 है0 स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 के पिता के नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा न. 93 थे उससे भी पूर्व साबिक खसरा नं. 374 , 449, 460 से 464 कुल किता 7 कुल रकबा 5 बीघा 45 बिस्वा थे। उक्त सम्पत्ति वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी नं. के पिता को जगन्नाथ जी का बडा पुत्र होने की वजह से उनके नाम लगी थी। जगन्नाथ जी की मृत्यु के समय वादी नं. 1 से 4 वर्ष का था तथा वादी नं. 2 से 4 के पिता राधेश्यामजी 8 वर्ष के थे। ऐसे में संयुक्त परिवार की संयुक्त भूमि का बडा पुत्र व मुखिया होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 के पिता के नाम लग गई। वादग्रस्त आराजी पर तीनो भाई प्रारम्भ से ही हिस्सा 1/3 ,1/3 काश्त करते आ रहे है। जो आज दिनांक तक लगातार है तथा कभी भी प्रतिवादी नं. 1 के पिता ने वादीगण के कब्जे काश्त पर कोई आपत्ति नहीं की तथा उक्त गलती का पता लगने पर प्रतिवादी नं. 1 के पिता बद्री स्वयं ने दिनांक 08/08/2011 को एक इकरारनामा अपने दोनो भाईयो को लिखकर दिया जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक होना एवं सब का 1/3 हिस्सा होना माना तथा वादीगण के नाम लगवाने की सहमति प्रदान की। इसके कुछ समय पश्चात प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का देहान्त हो गया उसके बाद भी परिवार में बात उठने पर स्वयं प्रतिवादी नं. 1 ने जरिये इकरारनामा दिनांक 07.10.2014 को वादीगण के हक में लिखा तथा स्वयं प्रतिवादी नं. 1 ने अपने पिता की पूर्व की लिखावट दिनांक 08.08.2011 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

ताईद की तथा वादग्रस्त सम्पत्ति का पैतृक होना तथा सबका बराबर हिस्सा माना। वादीगण अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है वादीगण लगातार प्रतिवादी नं. 1 को रिकॉर्ड में दुरस्ती करवाने को कह रहे है। किन्तु प्रतिवादी नं. 1 लगातार टालमटोल कर रहा है अब वर्तमान समय में प्रतिवादी नं. 1 की नियत में बेईमानी व खोट आ गया है व अब दुरस्ती नहीं करवा रहा है तथा गत दिनांक 25.11.2014को दुरस्ती करवाने से इंकार कर शीघ्र बेचान करने व बेदखल करने की धमकी दे रहा है। प्रतिवादी नं. 1 की धमकी को देखते हुये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की घोषणा की डिग्री प्राप्त करे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा दे कि वो वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले , वादीगण को जबरन बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त आराजी का किसी भी अन्य को रहन , दान , बेचान व अन्य हस्तानान्तरण नहीं करे। दावे के लिए वाद हैतुक दिनांक 25.11.2014 को जब प्रतिवादी नं. 1 ने रिकॉर्ड में दुरस्ती करवाने से इंकार किया तब पैदा होकर निरन्तर जारी है। दावा अन्दर मियाद कानून मियाद एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत हैं। दावा बहक वादीगण विरूद्द प्रतिवादीगण घोषणा का डिग्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 1 में वादी नं. 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं. 2 लगायत 4 को हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्ध फरमाया जावे कि वो वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा न

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

डाले , वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे तथा किसी भी अन्य को रहन , दान , बेचान नहीं करे व अन्य हस्तानान्तरण नहीं करे।

दावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 हाजीर आया व दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि :–

वाद पत्र का पैरा नम्बर 1 स्वीकार है । उक्त भूमि पर पहले प्रतिवादी सं. 1 के पिता रिकोर्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार चले आ रहे थे, उनके स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी सं. 1 रिकोर्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार चला आ रहा है वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। वादपत्र के पहरा नंबर 2 में सजरा खानदान जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नही है । वादी सं. 2,3.4 के पिता राधेश्याम बचपन में ही अपने नाना जगन्नाथ जी निवासी महादेवपुरा के यहां गोद चले गये और दत्तक पिता के स्वर्गवास के बाद उनकी खातेदारी भूमि 08 बीघा 04 बिस्वा राधेश्याम जी को विरासत मे प्राप्त हुयी द्य जिसको वादीगण ने जरिये रजिर्स्टड विकय पत्र गंगासहाय, शंकर पुत्रान रामप्रताप, गोविन्दनारायण,गोपाल पुत्रान रामनिवास ब्राहमण नि० माधोपुरा को बेचान कर दिया और वादी सं. 1 रामनारायण, ज[illegible]टखावदा के गोद चला गया । इस प्रकार ज[illegible]न्द्रपुर के परिवार से वादीगण का गोद चले जाने के कारण संबंध समाप्त हो गया द्य वादीगण गोद पिता से प्राप्त भूमि को बेचकर मुझ प्रतिवादी सं. 4 के पिता की स्वअर्जित भूमि को हडपने की गरज से यह पोषिदा तथ्यों पर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

दावा पेश किया है, जो काबिले खारिज है । वादपत्र का पहरा नंबर 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नही है । वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक संपति नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पिता को जगन्नाथ जी का बडा उते होने के कारण उनके नाम नहीं लगी, बल्कि सही बात यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी से. 1 के पिता बद्री की स्वअर्जित संपत्ति है । जो उनको अपने पिता जगन्नाथ जी से विरासत मे प्राप्त नही हुयी है । यह भूमि कभी भी प्रतिवादी सं. 1 के पिता बद्री के पिता जगन्नाथ जी की खातेदारी भूमि नही थी । जगन्नाथ जी की मृत्यु के समय दोनो भाई राधेश्याम एव रामनारायण बालिग थे । संयुक्त परिवार में नही रहते थे । इसलिये वादीगण का यह कहना कि परिवार का मुखिया होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ने जमीन अपने नाम लगा ली, गलत होने के कारण स्वीकार नही है । वादपत्र का पहरा नंबर 4 मिथ्या तथ्यो पर आधारित होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नही है। वादीगण ने कभी भी भूमि पर काश्त नहीं की। बल्कि पहले उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 के पिता बद्री काबिज, कारशत थे, उनके स्वर्गवास के बाद मैं प्रतिवादी सं. 1 बादग्रस्त भूमि पर काबिज, काश्त चला आ रहा हूं । प्रतिवादी सं. 1 के पिता बद्री ने दिंनाक 8.8.2011 को कोई इकरारनामा अपने दोनो [illegible] को लिखकर नही दिया । अगर ऐसा कोई इकरारनामा वादीगण के पास है तो वह फर्जी, कूटरचित है। वादपत्र का पहरा नंबर 5 गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ने भी दिंनाक 07.10.2014 को वादीगण के हक में कोई इकरारनामा लिखकर नहीं दिया। अगर ऐसा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

इकरारनामा वादीगण के पास है तो वह फर्जी, कूटरचित है । ऐसे इकरारनामो (लिखावट) से वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है । तथाकथित इकरारनामे अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड होने के कारण साक्ष्य में ग्राहय नही है। उक्त इकरारनामो(लिखावट) के आधार पर उक्त प्रकरण की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । वादग्रस्त आराजी पैतृक संपति नहीं है, ना ही वादीगण का उक्त भूमि में कोई हिस्सा है। वादपत्र का पहरा नंबर 6 स्वीकार नहीं है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज, काश्त नही है। वादीगण का वादपग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है । प्रतिवादी सं. 1 की नीयत मे कोई खोट नहीं आया है बल्कि वादीगण की नीयत में खोट आ गया है । वादीगण गोद जाने के बाद अपने दत्तक पिता की भूमि विरासत मे प्राप्त कर चुके है एंव भूमि का बेचान कर चुके है। अब वादीगण ने मुझ प्रतिवादी सं, 1 की जमीन हडपने की गरज से पोषिदा तथ्यों पर यह दावा पेश किया है, जो काबिले खारिज है। वादीगण यह कहना कि गत दिंनाक 25.11.2014 को प्रतिवादी ने दुरूस्ती से इंकार कर दिया एंव भूमि बेचान करने की धमकी दी, गलत होने के कारण स्वीकार नही है। वादीगण का जब वादग्रस्त आराजी से कोई संबध ही नहीं है तो दुरूस्ती करवाने का सवाल ही नहीं उठता है । ना ही प्रतिवादी ने भूमि बेचान की कोई धमकी दी । वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही नहीं है तो उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। वादपत्र का पहता नंबर 7 स्वीकार नही है । प्रतिवादी ने वादीगण को कोई धमकी नहीं दी। वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है । इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादीगण खातेदारी चोषणा कराने के एंव मिन प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराने के अधिकारी नही है। वादीगण का जब वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही नही है तो उसके उपयोग, उपभोग में बाधा डालने, जबरन बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है द्य बल्कि सही बात यह है कि पहले उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं. 1के पिता बद्री काबिज, काश्त थे, उनके स्वर्गवास के बाद मैं प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त भूमि पर काबिज, काश्त चला आ रहा हूं । बिना कब्जे के वादीगण का स्थायी निषेधाज्ञा का वाद काबिले खारिज है । वादपत्र का पहरा नंबर 8 स्वीकार नही है। दिनाक 25.11.2014 को वादीगण को कोई वादहेतुक पैदा नही होता है । वादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है । वादीगण के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होता है। बिना वादहेतुक दावा पेश किया गया है, जो काबिले खारिज है । वादपत्र का पहरा नंबर 9 स्वीकार नही है। वादीगण का वाद मियाद बाहर है । वादपत्र का पहरा नंबर 10 स्वीकार नही है । उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार मान्य राजस्व न्यायालय को न होकर , सिविल न्यायालय को है। वाद पत्र का पहरा नम्बर 11 स्वीकार नही है। जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

दावे का जवाब [illegible] होने पर जवाब दावे का जवाब उल जवाब पेश हुआ जो इस [illegible] पेश हुआ कि :– प्रतिवादी नं. 1 ने अपने जवाब दावे के मद नं. 2 में मिथ्या तथ्य वर्णीत किये है जो गलत होने से अस्वीकार है वादी नं. 2 से 4 के पिता राधेश्याम कभी भी अपने नाना जगन्नाथ जी के गोद नहीं गये बल्कि वादी नं0 2

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

से 4 के पिता राधेश्याम सदैव अपने मूल परिवार में ही रहे इस मर्द में प्रतिवादी नं. 1 ने गलत तथ्य वर्णीत किये है जगन्नाथ जी की भूमि राधेश्याम जी के उनकी सेवा के आधार पर लगी थी उससे दत्तक का कोई सम्बन्ध नहीं है इसी प्रकार वादी नं. 1 भी किसी भी अन्य के दत्तक नहीं गया है प्रतिवादी नं. 1 एक पढा लिखा व्यक्ति है यदि वादीगण या उनके पूर्वज दत्तक चले जावे तो प्रतिवादी नं. 1 कभी भी सहमति पत्र वादीगण के हक में नहीं लिखता इस कारण प्रतिवादी नं. के कथन पूर्णतया गलत व मिथ्या है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने जवाब दावे के मदं नं. 3 में जो तथ्य अंकित किये है वो गलत है अस्वीकार है वादग्रस्त सम्पत्ति बद्ररी जी की स्वअर्जित सम्पत्ति नही थी अगर स्वअर्जित है तो प्रतिवादी नं. 1 को यह बताना चाहिए था कि उक्त भूमि कब व किस विकयपत्र द्वारा बद्ररी जी ने कय की है ऐसे में उक्त भूमि सयुक्त परिवार की संयुक्त भूमि है जिसमें वादीगण का भी बराबर का हक हिस्सा व कब्जा है। प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब दावे के मद नम्बर 5 पूर्णतया गलत है स्वीकार नहीं है प्रतिवादी नं. 1 ने स्वयं ने अपनी राजीखुशी पूर्ण होश हवाश में, सुनकर समझकर उक्त इकरारनामा वादीगण के पक्ष में किया था जो गवाहो के समक्ष निस्पादित किया गया था यह दावा इकरारनामे की पालना का नहीं है बल्कि उक्त लिखावट से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी नं. 1 स्वयं वादीगण के हक व हिस्से का [illegible] है उक्त लिखावट कानूनन साक्ष्य में ग्राहय है तथा दावा घोषणा खातेदारी का है जिसको तय करने का क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व को प्राप्त है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने जवाब दावे के मद नं. 6 व 7 में मिथ्या तथ्य वर्णीत किये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादीगण का दावा पूर्णतया सही व कानूनी है मौके पर वादीगण का हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त है तथा सहमति पत्र देकर स्वयं प्रतिवादी ने दुरस्ती हेतु कह दिया था किन्तु बाद में इन्कार कर दिया ऐसे में वादीगण का दावा पूर्णतया कानूनी है। जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद दावे व जवाब उल जवाब के तथ्यो के आधार पर डिग्री फरमाया जावे।

दावे का जवाब बुल जवाब पेश होने पर पत्रावली को तनकीयात कायम करने हेतु नियत की गयी, इस दौरान पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा इस प्रकार पेश किया कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा प्रतिवादी को वादीगण का वाद डिक्री यिे जोन में कोई आपत्ति नही है। वादीगण का वाद प्रतिवादी को स्वीकार है वादपत्र अनुसार वादीगण के हक, कब्जे काश्त में प्रतिवादी बाधा उत्पन्न नही करेगा तथा वादीगण का पूरा सहयोग करेगा। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अनुसार डिक्री किया जावे।

राजीनामा पेश होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर बहस राजीनामा की पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो पक्षकारान वकील ने दौराने बहस दावा मुतबिक राजीनामा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

दावे के समर्थन में वादी ने ग्राम इन्द्रपुरी की जमाबंदी संख्या 2067–70 के खाता संख्या 24, मिलान क्षेत्रफल नक्शा ट्रेस जमाबंदी संवत 2008–23 (इकरारनामा बद्री द्वारा लिखा गया व कैलाश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

बद्रीनारायण द्वारा लिखा गया जिसकी फोटो प्रति) बतोर सबूत दस्तावेज पेश किये गये। वकील पक्षकारान की बहस पर गोर किया व राजीनामा दावा जवाब दावा, जवाब बुल जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त आराजी वादीगण की पेतृिक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता जगन्नाथ जी का बडा पुत्र होने की वजह से उसके नाम लगी। जगन्नाथ जी की मृत्यू के समय वादी नम्बर 1, 4 वर्ष का था वादी नम्बर 2 से 4 के पिता राधेश्याम जी 8 वर्ष के थे, ऐसे में संयुक्त परिवार की संयुक्त भूमि का बडा पुत्र व मुखिया होने के करण उक्त भूमिया प्रतिवादी नं0 1 के पिता के नाम लग गयी। वादग्रस्त भूमि पर तीनो भाई प्रारंभ से ही हिस्सा 1/3, 1/3 काश्त करते आ रहे है। इस बाबत स्वयं बद्रीनाराण पुत्र जगन्नाथि ने भी 100/– स्टाम्प पर वादीगण का 1/3, 1/3 माना है व वादग्रस्त भूमि को पेतृिक भूमि मानते हुये वादीगण को भूमि देना स्वीकार किया है, इसी प्रकार कैलाश पुत्र बद्रीनारायण के द्वारा भी जरिये इकरारनामें के वादीगण को भूमि देना व वादग्रस्त भूमि स्वीकार करते हुये पुनः लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश कर दावा वादी स्वीकार किया जाना स्वीकार किये जाने से वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक होना व सब का 1/3, 1/3 हिस्सा व कब्जा काश्त साबित होने से दावा वादीगण मुताबिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादीगण मुताबिक डिक्री किया जाकर वादीग्रस्त भूमि खसरा नं. 397 रकबा 0.30 है0 , खसरा नं. 398 रकबा 0.51 है0 खसरा नं. 399 रकबा 0.62 है0 , खसरा नं. 400 रकबा 0.63 है0 ,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

खसरा नं. 401 रकबा 0.06 है0 , खसरा नं. 402/551 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.19 है0 वाके ग्राम इन्द्रपुरी तहसील कोटखावदा में वादी नं0 1 को 1/3 वादी नम्बर 2 लगायत 4 को 1/3 तथा प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:48 IST
Reason: SelfAttested